

**ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND  
SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS  
THEREON**

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS  
RAJYA SABHA  
STARRED QUESTION NO- \*31  
TO BE ANSWERED ON- 06/12/2023**

**VULNERABLE TRIBES**

**\*31 SHRI RAKESH SINHA:**

Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a number of vulnerable tribes in general, and Meghalaya in particular, are facing problem of not only cultural identity but also economic exclusion due to their own psychological reasons;
- (b) if so, the steps taken to protect their identity and existence;
- (c) the reasons for continuously decreasing population of these tribes; and
- (d) whether there are any statistics to show the number of children in these tribes in the age group of zero to twelve (0-12), if so, the details thereof?

**ANSWER**

**MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS  
(SHRI ARJUN MUNDA)**

(a) to (d): A statement is laid on the table of the House.

\*\*\*\*\*

**Statement referred to in reply to parts (a) to (d) of Rajya Sabha Starred Question No. \*31 for answer on 06.12.2023 tabled by Shri Rakesh Sinha regarding “Vulnerable tribes”**

**(a) & (b):** There are 75 groups of most vulnerable sections amongst the tribal communities who are classified as the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) spread over 18 States and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands. There are no such identified PVTGs in State of Meghalaya.

For cultural preservation and promotion of tribes including PVTGs, Ministry of Tribal Affairs (MoTA) is administrating the scheme of “Support of Tribal Research Institute” under which financial assistance is provided to the State Tribal Research Institutes (TRIs) for implementing various projects including preservation and promotion of their art, culture, practices and traditions based on the annual proposals submitted by the States / UT.

In so far as socio-economic development of PVTGs, this Ministry is implementing the Scheme of “Development of PVTGs” with the objective of overall socio-economic development and welfare of these most vulnerable sections among tribal people. Funds are provided to the concerned State Government / UT on the basis of their proposals for Conservation cum Development (CCD) plans. Besides development projects are undertaken by the States out of Tribal Sub-Plan funds.

Government has recently launched Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) that aims to saturate PVTG households and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health and nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities.

Ministry of Tribal Affairs is also implementing a flagship scheme “Eklavya Model Residential School (EMRS)” to provide quality education to ST Students from class 6th to 12th. 5% seats in each of the EMRSs is reserved for PVTG students.

In the scheme of National Fellowship, 25 slots out of 750 slots are reserved for PVTG students. Under National Overseas Scholarship for ST students, 3 slots out of 20 slots are reserved for PVTG candidate.

**(c) & (d):** As the enumeration of tribes other than STs has not been done separately in any of the decadal Censuses since 1951 Census, the population figure/trend for the PVTGs communities as a whole is not available centrally. However, information, as provided by the Office of Registrar General of India, on the State-wise decadal population for PVTGs does not show decreasing population of these tribes. Further, such statistics to show the number of children in these tribes in the age group of zero to twelve (0-12) are not available.

\*\*\*\*

भारत सरकार  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या- \*31  
उत्तर देने की तारीख- 06/12/2023

**असुरक्षित जनजातियाँ**

\*31 श्री राकेश सिन्हा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सामान्य रूप से कई असुरक्षित जनजातियाँ और विशेष रूप से मेघालय की जनजातियाँ अपने स्वयं के मनोवैज्ञानिक कारणों से न केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान अपितु आर्थिक बहिष्कार से जुड़ी समस्या का भी सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी पहचान और अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन जनजातियों की लगातार घटती जनसंख्या के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन जनजातियों में शून्य से बारह (0-12) वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या दर्शाने वाला कोई आंकड़ा उपलब्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जनजातीय कार्य मंत्री  
(श्री अर्जुन मुंडा)**

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**“असुरक्षित जनजातियाँ” के संबंध में श्री राकेश सिन्हा द्वारा दिनांक 06.12.2023 को रखे गए राज्य सभा के तारांकित प्रश्न सं. \*31 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

**(क) तथा (ख):** जनजातीय समुदायों के बीच सबसे कमजोर (असुरक्षित) वर्गों के 75 समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए हैं। मेघालय राज्य में ऐसे कोई पहचाने गए पीवीटीजी नहीं हैं।

पीवीटीजी सहित जनजातियों के सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) "जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता" योजना का संचालन कर रहा है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रस्तावों के आधार पर उनकी कला, संस्कृति, प्रथाओं और परंपराओं का संरक्षण और बढ़ावा देने सहित विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जहां तक पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास की बात है, यह मंत्रालय जनजातीय लोगों के बीच इन सबसे कमजोर वर्गों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण के उद्देश्य से "पीवीटीजी के विकास" की योजना क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र को उनके प्रस्तावों के आधार पर निधियाँ प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा राज्यों द्वारा जनजातीय उप-योजना निधि से विकास परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य तथा पोषण, सड़क एवं दूरसंचार संपर्क और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतुष्ट करना है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 6वीं से 12वीं कक्षा तक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)" भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना में, 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत, 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी अभ्यर्थी के लिए आरक्षित हैं।

**(ग) से (घ):** समग्र रूप से पीवीटीजी समुदायों के लिए जनसंख्या का आंकड़ा/रुझान केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 1951 की जनगणना से किसी भी दशकीय जनगणना में अजजा के अलावा अन्य जनजातियों की गणना अलग से नहीं की गई है। हालाँकि, भारत के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) के कार्यालय द्वारा पीवीटीजी के लिए राज्य-वार दशकीय जनसंख्या पर प्रदान की गई जानकारी, इन जनजातियों की जनसंख्या में कमी नहीं दिखाती है। इसके अलावा, इन जनजातियों में शून्य से बारह (0-12) आयु वर्ग के बच्चों की संख्या दर्शाने वाले ऐसे आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

\*\*\*\*\*

**श्री राकेश सिन्हा :** सभापति महोदय, जो vulnerable tribes हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातियाँ हैं, उनकी स्थिति 1947 से लगातार कमजोर होती गई है, लेकिन 2014 के बाद से माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने उन पर विशेष ध्यान दिया और 'श्री प्रधानमंत्री जनमन योजना' लागू की गई। चूंकि इस योजना को 75 विशेष रूप से कमजोर ट्राइब्स के लिए लागू किया गया है, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा इसे लागू किया जाता है, उसका कन्वर्जेंस होता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसमें जनजातीय मंत्रालय क्या कर रहा है?

**श्री अर्जुन मुंडा :** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, राकेश सिन्हा जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन में लाए हैं। माननीय सांसद, राकेश सिन्हा जी शोध कार्य के साथ काफी जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं और अभी भी मेघालय के कोंगथोंग (सेंग खासी), मौमांग जैसे कई गाँव, जहाँ ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना आवश्यक है, उन्हें गोद लेकर काम करते हैं।

महोदय, यह बात सही है कि देश में यह पहला अवसर है जब माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार, एक संवेदनशील व्यक्तित्व और एक संवेदनशील कार्यक्रम का सूत्रण करने की एक बृहद कार्ययोजना तैयार की गई है। इस समय देश में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, इसमें उनकी भी काफी संवेदनशील पृष्ठभूमि इस दृष्टि से रही है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय देश के सर्वोच्च नागरिक के पद पर आसीन होने के बाद लगातार देश के अंदर विभिन्न राज्यों में, जहाँ भी उनका कार्यक्रम बना, वहाँ समय निकालकर, प्रमुखता के साथ उन वर्गों को, जिन्हें देश ने पीवीटीजी, यानी पार्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में जाना है, वैसे लोगों के साथ मिलकर इस बात की भी जानकारी ली और उनके बारे में चिन्ता जाहिर की। एक संवेदनशील प्रधान मंत्री होने के नाते उन्होंने इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री जनमन, यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को 24,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान करते हुए इसी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया है।

सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि में जानना चाहता हूँ और सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971-72 में श्री एस.सी. दुबे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनी थी और बाद में रांची यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलोजी के बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर, एल.पी. विद्यार्थी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को देखा गया कि जिस तरीके से देश की पंचवर्षीय योजनाएँ चल रही हैं और जिस तरीके से प्राथमिकताएँ तय हो रही हैं, उसमें समस्त देश के जनजाति क्षेत्र पिछड़ रहे हैं। उनके पिछड़ने के कुछ कारण इस तरीके से हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र, पहाड़ी एरिया में इनका निवास तथा इनका जो डेमोग्राफिक पैटर्न है, वह बिल्कुल अलग है। दूसरा, उन दिनों जो सत्ता में रहे, उन्होंने अपनी प्राथमिकता को ज्यादा तय किया, बजाय उन लोगों की, जिनको ज्यादा आवश्यकता थी। इसलिए उस समय वर्ष 1974-75 में एक नीति निर्धारित की गई कि राज्य और सेंटर भी ट्राइबल सब-प्लान एरिया (टीएसपी) के आधार पर राशि आवंटित करते हुए सुनिश्चित करेगा, लेकिन उसमें भी इस बात का ध्यान नहीं रखा जा सका। इस बात के लिए उसमें मूल्यांकन किया गया, सब चीज़ें देखी गईं, एक आबादी निर्धारित की गई, जिनमें 500 के टोले होंगे, बस्ती होगी, 300 लोगों की बस्ती होगी, ऐसे आबादी क्षेत्र, जो ट्राइबल होंगे, सामान्य क्षेत्र से अलग होंगे,

उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मैं इस सदन में आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिन लोगों को लक्ष्य बनाकर 'पीएम जनमन योजना' के तहत काम किया जा रहा है, उसमें 300 या 100 से भी कम, यानी जो पिछले 75 वर्षों में हमेशा पिछड़ते रहे, जिनकी आबादी एक-एक टोले में, PVTG टोले में 100 से भी कम है, अंडमान-निकोबार से लेकर देश के विभिन्न राज्यों के 75 PVTG गुप्स को इस योजना में सम्मिलित करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि सामूहिक रूप से हमारे जो मंत्रालय हैं, 9 मंत्रालयों के माध्यम से उनके लिए मानदंडों को relax करते हुए योजनाबद्ध तरीके से अमृतकाल में ऐसे गांवों तक पहुंचें, जहां आजादी के बाद कभी देश की कोई व्यवस्था नहीं पहुंच पाई।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्रामीण विकास के माध्यम से देश में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' चल रही है, इन समुदायों के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में लागत बढ़ाई गई है, पूर्ण रूप से उन गांवों को आच्छादित करना सुनिश्चित किया गया और 4 लाख, 90 हजार नए आवास PVTG समुदाय के परिवारों को दिए जाएंगे।

इसी तरह इन गांवों के लिए 1 हजार मोबाइल हेल्थ वैन्स प्रारम्भ की जाएंगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इन परिवारों के बच्चों के लिए 500 नए छात्रावास देकर शिक्षा में नए अवसर प्रदान करने का काम किया जाएगा। इसी तरह से जिन गांवों में बहुत कम आबादी है, वहां 2,500 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही हमारे मंत्रालय के द्वारा वन-धन केंद्र के माध्यम से रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के लिए 500 केंद्र खोले जाएंगे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के माध्यम से 3,000 गांवों में स्पेशल तरीके से नए टावर लगाए जाएंगे, ताकि वे गांव, जो इन सारी चीजों से अछूते रहे हैं, उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। इस प्रकार 'पीएम जनमन योजना' यानी 'पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान' को अमृतकाल में सफल किया जाएगा।

**श्री राकेश सिन्हा :** सभापति महोदय, मैं आश्चर्य में हूँ कि ट्राइबल इश्यु पर विपक्ष क्यों नहीं सुनना चाहता है?

MR. CHAIRMAN: Please.

**श्री राकेश सिन्हा :** महोदय, ये जो 75 कमज़ोर जनजातीय समुदाय हैं, इनका अस्तित्व लगभग मिट जाता, यदि वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार नहीं बनती। मेरा दूसरा सप्लिमेंटरी प्रश्न है कि कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं, जो राज्य सरकारों के साथ चल रही हैं, तो जनजातीय मंत्रालय किस प्रकार से राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए इन योजनाओं को लागू कर रहा है?

**श्री अर्जुन मुंडा :** महोदय, ये सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाएं चल रही हैं और सभी राज्यों को इनमें सुनिश्चित किया गया है। मैं इस सदन में यह बताना चाहता हूँ वर्ष 2011 में जनगणना के जो आंकड़े आए, उसमें पाया गया कि वर्ष 2001 के मुकाबले बहुत सारे PVTG समुदायों की जनसंख्या में कमी आई है। इसलिए सभी मुख्य मंत्रियों को संवेदनशीलता के साथ इस बात का ध्यान रखने के लिए आग्रह किया गया कि इन समुदायों की संख्या में जो गिरावट आई है, उस पर शोध और खोज

करें। टीआरआई, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट है, उसको हमने अलग से इसका टास्क भी दिया है कि वह इन सारी चीजों पर शोध करे। कुछ जगहों पर देखा गया है कि पलायन हुआ है और कुछ जगहों पर मृत्यु दर ज्यादा है। आज मैंने जिन योजनाओं का उल्लेख किया, उन योजनाओं के पीछे यह उद्देश्य है कि यदि हम एक हजार हेल्थ मोबाइल वैन्स प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसके पीछे यही कारण है कि हम उनको सही तरीके से स्वास्थ्य की सुविधा दिलाएं और 100 परसेंट उनका आयुष्मान भारत का कार्ड बने तथा उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हों।

SHRI AMAR PATNAIK: Mr. Chairman, Sir, I would like to put this question to the hon. Minister. What is the reason behind merging two major and vastly different central initiatives, that is, the Development Action Plan for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Components into the Prime Minister's Social Inclusion Mission for Welfare of SCs and STs? I believe, the National Commission for Scheduled Tribes has also taken some kind of an objection to this because they think that the problems of the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes are completely different.

**श्री अर्जुन मुंडा :** महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शायद उनको इस बारे में पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का गठन ही इसलिए किया गया है कि सारे डेवलपमेंट प्लान्स को हम फोकस्ड वे में ट्राइबल एरिया और ट्राइबल्स के लिए बनाएं। जो एसटी कंपोनेंट होता है, शैड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट राशि का आवंटन होता है, उसमें इस देश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1 लाख, 15 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, since the question pertains to the tribal communities, which are vulnerable, especially in the State of Meghalaya, protection of vulnerable languages is also a big constituent of protecting tribal communities. Through you, I would like to ask the hon. Minister as to what the current status of including the Garo and Khasi languages of Meghalaya in the Eighth Schedule of the Constitution of India is. And, by when does the Government plan to bring Garo and Khasi languages into the Eighth Schedule of the Constitution of India?

MR. CHAIRMAN: I think, it does not concern the hon. Minister. You can reword your question.

SHRI SAKET GOKHALE: Since we are asking about the tribes of Meghalaya and we are asking about the tribal population, the protection of language ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, the hon. Minister can respond only to those in his jurisdiction. ...*(Interruptions)*... You, as very informed young Member, are fully aware of the mechanism of inclusion of languages. I would give you an opportunity to put another question. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAKET GOKHALE: But, they have received a proposal. ...*(Interruptions)*... They have received a proposal from the Government of Meghalaya as recently as two months ago. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Alright. Hon. Minister, have you anything to add on this?

**श्री अर्जुन मुंडा :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में 700 से अधिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ट्राइबल्स की क्वालिटी यह है कि उनमें बहुत सारी भाषाएं विद्यमान हैं। देश भर में सभी क्षेत्रों की अलग-अलग भाषाएं हैं। मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 बनी है, हम उस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को अधिक से अधिक प्रोटेक्ट कर सकें, मान्यता दे सकें और पहचान देकर, जो परंपरागत रूप से उनकी संस्कृति बनी हुई है, वह बनी रह सके, हमने इसको सुनिश्चित किया है। वे आठवीं अनुसूची के बारे में कह रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि आठवीं अनुसूची की एक अलग प्रविधि है, अलग व्यवस्था है और उसमें आबादी वगैरह, सारी चीजों को ध्यान में रखकर देश में विचार किया जाता है। किसी एक क्षेत्र में अगर हम 700 ट्राइबल्स के बारे में चिंता करेंगे, तो उसमें इन सारे विषयों को नीतिगत रूप से देखना पड़ेगा कि इसमें क्या-क्या मेरिट्स, डिमेरिट्स या क्या complications हैं। वह एक क्षेत्र को लेकर नहीं कर सकते, बल्कि पूरे देश को देखकर इस पर फैसला लिया जाएगा।

DR. SASMIT PATRA: Mr. Chairman, Sir, my special interest in this question stems from the fact that my State of Odisha has the largest number of PVTGs, that is, 13. The hon. Minister in his reply has rightly mentioned that the population figures of PVTG communities as a whole are not available centrally, and from 1951, the enumeration has not been done. But the PVTG definition itself says that the population reduction of specific tribal groups led to them becoming PVTGs. Therefore, my specific question would be: Considering the sensitivity of enumeration for PVTGs to understand whether they are growing or decreasing, I would like to know whether the hon. Minister would consider taking a targetted census or enumeration for only these 75 PVTG groups, so that we would be able to have a central database to find out whether they are increasing in numbers or they are decreasing, the patterns of migration and thereby these programmes would be helpful.

MR. CHAIRMAN: Question No. 32... Now, hon. Minister.

**श्री अर्जुन मुंडा :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो कार्यक्रम है, इसमें पोर्टल बनाया गया है, जिसमें इनकी सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी। माननीय सदस्य भी उसको देख सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: I read out Q. No. 32 because Shri Saket Gokhale had raised a good issue but from the wrong Minister. His jurisdiction is not there. I am sure he will find a way out to raise this issue comprehensively at a proper forum as per rules.

Question No.32.